छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formely Kanpur University, Kanpur)
Kalyanpur, Kanpur-208024
कल्यानपुर कानपुर–208024

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/ 2621 /2022 दिनांक : 28/04/2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल कॉलेज,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

विषय : मेडिकल एवं पैरामेडिकल परीक्षाओं में चुनौती मूल्याकंन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./2485/10/2022 दिनांक 29.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा मेडिकल एवं पैरामेडिकल की परीक्षाओं में चुनौती मूल्याकंन को समाप्त किये जाने के अनुमोदन के बारे में अवगत कराया गया हैं। आदेशानुसार उक्त परीक्षाओं के परीक्षा–परिणाम से असंतुष्ट छात्र/छात्राओं के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही निम्नवत् सम्पन्न करायी जायेगी–

1. उक्त परीक्षाओं के मूल्याकंन के पश्चात् समस्त छात्र/छात्राओं को उनकी उत्तर–पुस्तिका की साफ्ट कॉपी उनके द्वारा दिये गये ईमेल आईडी पर प्रेषित की जायेगी।
2. मूल्याकंन के सम्बन्ध में यदि छात्र/छात्राएं कोई आपत्ति करना चाहते हैं, तो अपने महाविद्यालय के सम्बंधित विभाग के प्राध्यापक से उत्तर पुस्तिका का मूल्याकंन कराने का अनुरोध करेंगें।
3. विभागाध्यक्ष या सम्बंधित प्राध्यापक द्वारा उत्तर–पुस्तिका का मूल्याकंन किया जायेगा एवं पूर्व में किये गये मूल्याकंन पर अपनी टिप्पणी/आख्या उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति पर अंकित करेंगे।
4. सम्बन्धित अध्यापक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा, पूर्व में हुए मूल्याकंन से विसंगति की दशा में, प्राचार्य द्वारा उत्तर–पुस्तिका की छाया–प्रति विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
5. उक्त टिप्पणी/आख्या को उचित पाये जाने पर उत्तर–पुस्तिका का पुनर्मूल्याकंन कराया जायेगा, तत्पश्चात् प्राप्त अंकों को ही अंतिम माना जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. वैय0 सहायक, कुलपति/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक